



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052021-227148
CG-DL-E-24052021-227148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1863]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2021/ज्येष्ठ 3, 1943

No. 1863]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2021/JYAISTHA 3, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

का.आ.1990(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में लगी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 4 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4208(अ), तारीख 25 नवंबर, 2020 द्वारा 27 नवंबर, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला उद्योग में लगी सेवाओं को 27 मई, 2021 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं.एस-11017/3/2018-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2021

S.O. 1990(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Coal industry, which is covered under item 4 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 27th November, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number, S.O. 4208 (E), dated the 25th November, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Coal industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 27th May, 2021.

[No. S-11017/ 3 /2018-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.